

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर०ए०एस०)

पत्र संख्या : 25 / 2024

दायर दिनांक : 20 / 05 / 2024

निर्णय दिनांक : 05 / 06 / 2025

उनवान

1. कंकु पत्नी प्यारदास बैरागी निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर
2. छोगादास पिता किशनदास बैरागी निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर
3. पष्पा पुत्री प्यारदास बैरागी निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर
4. मुकेश पुत्र प्यारदास बैरागी निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबरू पिता नगजीराम गाडरी निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नही आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम बबराणा प० ह० बबराणा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरुनी के खाता सं० 1744 रकबा 0.97 है० बारानी 3, आ०न० 1745 रकबा 0.25 है० बारानी 3, आ०न० 1746 रकबा 0.10 है० बारानी 3 कुल खसरे 3 कुल क्षेत्रफल 1.32 है०** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

